रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1975/आश्विन 5, 1897

No. 191] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1975/ASVINA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL.

New Delhi, the 27th September 1975

SUBJECT.—*Export of articles made of Ivory.*

No. 39-ETC(PN)/75.—It is notified for the information of the trade that it has been decided by the Government of India that export of articles made of Ivory would be permitted upto 31st December, 1975, without any licensing formalities.

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1975

विषय.—हाथी दांत की बनी चीजों का निर्यात ।

सं० 39-ई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—व्यापारियों की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यह निश्चय किया गया है कि बिना किसी लाइसेंस औपचारिकताओं के हाथी दांत की बनी चीजों के निर्यात की अनुमति 31 दिसम्बर, 1975 तक दी जाएगी ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975